



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक- 31.07.2025

विषय:- “आपरेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना लालपुर पाण्डेयपुर मे पंजीकृत चोरी से सम्बन्धित अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 2000/- रु0 का अर्थदण्ड ।

थाना लालपुर पाण्डेयपुर, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-015/2025 धारा 303(2),317(2) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त गोलू कुमार अग्रहरि पुत्र संजय कुमार अग्रहरि निवासी- शीतला माता मंदिर पुराना पुल थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक लालपुर पाण्डेयपुर व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक- 31.07.2025 को माननीय न्यायालय ACJM-05 जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अन्तर्गत धारा 303(2),317(2) बीएनएस के अपराध में जेल में बितायी गयी अवधि व 2000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन
कमिश्नरेट वाराणसी।